भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 625

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया

बैंको में अदावाकृत जमाराशि

625. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे: श्री जी. सेल्वम:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे: श्रीमती मंजुलता मंडल:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री धनुष एम. कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अदावाकृत जमाराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अदावाकृत जमाराशि के निपटान के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में अदावाकृत जमाराशि की मात्रा को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावाकृत जमाराशियों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए '100 डे -100 पे, अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में सामाजिक रूप से वंचित समूहों के कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए उक्त जमाराशि का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त जमाराशि को उसके सही मालिकों/दावेदारों को लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (च): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें दावा न की गई जमाराशि से संबंधित मानदंडों को कवर किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ, जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों सहित निधि के उपयोग के ब्यौरे की रूपरेखा तैयार की गई है। योजना के अनुसार, दावा न की गई जमाराशि को बैंकों द्वारा "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि" में अंतरित किया जाता है। पिछले पांच वर्ष में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डीईए निधि में अंतरित दावा न की गई जमाराशि के ब्यौरे को अनुबंध में दर्शाया गया है।

दावा न की गई जमाराशि की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशि सही दावेदार को वापस करने के लिए आरबीआई द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार सलाह दी गई है-

i. दावा न की गई वैसी जमाराशि जो दस वर्ष या उससे अधिक समय से बैंक की वेबसाइट पर निष्क्रिय हैं, की सूची को दर्शाया जाना;
ii. दावा न की गई जमाराशि को सही दावेदारों को वापस करने के लिए ग्राहकों के ठिकाने और उनके कानूनी उत्तराधिकारी का पता लगाना;
iii. दावा न की गई जमाराशि के वर्गीकरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करना; और
iv. शिकायतों के त्वरित समाधान, रिकॉर्ड रखने और दावा न की गई जमाराशि वाले खातों की सावधिक समीक्षा के लिए शिकायत निवारण तंत्र लागू करना ।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने जनता के लिए विभिन्न बैंकों में दावा न की गई जमाराशि का पता लगाने के लिए केंद्रीकृत वेब-पोर्टल की स्थापना करने की घोषणा की है।

दावा न की गई जमाराशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्ष में दावा न की गई जमाराशि के निपटान के लिए कुल 5,729 करोड़ रुपए डीईए निधि से बैंक में अंतरित किया गया था।

आरबीआई ने बैंकों के लिए देश के सभी जिलों के सभी बैंकों के दावा न की गई 100 जमाराशि को 100 दिन के भीतर पता लगाने और उसका निपटान करने के लिए दिनांक 1.6.2023 से लेकर दिनांक 8.9.2023 के लिए अभियान का भी शुभारंभ किया है।

******

अनुबंध

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दावा न की जमाराशि को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि में अंतरित किए जाने का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपए में

दिनांक की स्थिति के अनुसार	**31.3.2019**	**31.3.2020**	**31.3.2021**	**31.3.2022**	**31.3.2023**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	15,090	19,425	23,683	27,921	36,185
निजी क्षेत्र के बैंक	2,694	3,380	4,141	5,013	6,087

स्रोत: आरबीआई

***